# शराब घोटाला : विजय भाटिया को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2,100 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले मामले में फंसे कारोबारी विजय भाटिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। भाटिया की ओर से दाखिल रिट याचिका पर गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने भाटिया की ओर से पैरवी की, जिसमें यह दलील दी गई कि बिना समन दिए ही उन्हें गिरफ्तार किया गया।

जवाबी तर्क में एसीबी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कोर्ट को बताया कि ईडी द्वारा प्रारंभिक पूछताछ के बाद भाटिया को 31 मई 2025 को दोपहर में एसीबी को सौंपा गया और इसके ठीक 24 घंटे बाद उन्हें एक जून को रायपुर की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। मामले में 300 से ज्यादा

बिलासपुर हाई कोर्ट। ● फाइल फोटो

गवाहों से पूछताछ की गई है और सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी की गई। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने विजय भाटिया की याचिका को खारिज कर दिया।

**विदेश भागने की थी तैयारी, दिल्ली से हुई गिरफ्तारी** :बताया गया है कि विजय भाटिया दिल्ली में अपने परिवार के साथ था और ब्राजील भागने की तैयारी में था। इससे पहले ही ईओडब्ल्यू ने 31 मई को उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। रायपुर की विशेष अदालत में पेशी के दौरान एजेंसी ने सात दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने चार दिन की रिमांड मंजूर की। इसके बाद 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भाटिया को जेल भेजा गया।

**नेताओं से जुड़े लेन-देन की जांच:** ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा हुआ है कि विजय भाटिया और उसके सहयोगी बंसल के खातों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और उनके रिश्तेदारों के खातों में भारी रकम ट्रांसफर की गई है। एसीबी-ईओडब्ल्यू यह पता लगाने में जुटी है कि शराब घोटाले का पैसा किन राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों तक पहुंचा। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि भाटिया ने विदेशी कंपनी से शराब सप्लाई कर 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध कमाई की, जिसे प्रापर्टी में निवेश किया गया।

## सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा: मांगी गई जानकारी देने का निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की एक भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी को लेकर शुरू हुआ आरटीआइ विवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्पष्ट निर्देश दिया कि आयोग को 30 दिनों के भीतर अभ्यर्थी को मांगी गई जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही न्यायालय ने इस मामले में दायर याचिका को निराकृत कर दिया। रायपुर निवासी चंद्रकांत पांडेय ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत पीएससी की एक भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी मांगी थी। आयोग ने यह कहकर जानकारी देने से इंकार कर दिया था कि इस संबंध में याचिका लंबित है। इसके बाद अभ्यर्थी ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने 10 जनवरी 2019 को पीएससी को निर्देश दिया कि मांगी गई जानकारी प्रदान की जाए। इस आदेश को पीएससी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि जब तक याचिका लंबित है, जानकारी देना संभव नहीं। बुधवार को मामले की सुनवाई में आयोग की ओर से अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी ने कोर्ट को बताया कि संबंधित याचिका पर सितंबर 2024 में निर्णय आ चुका है और अब आयोग को जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केरल लोक सेवा आयोग बनाम राज्य सूचना आयोग के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अंकों की जानकारी साझा करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के अंक आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही सार्वजनिक किए जा चुके हैं। इन सभी तथ्यों पर गौर करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया।